न्यायालय, प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश, सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

थाना सिरोंज
अपराध क्रमांक 453/2022
ज.आ.क्र. 171/2022

1– जागीर पिता चंपालाल, उम्र 40 वर्ष
2– समन्दर पिता चंपालाल, उम्र 35 वर्ष
3– वृंदावन पिता कल्लू, उम्र 32 वर्ष
4– जशरथ पिता इन्दर सिंह, उम्र 35 वर्ष
5– उधम पिता भारत, उम्र 27 वर्ष
सभी निवासी ग्राम ग्वारी नक्टा टपरा तहसील व थाना सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..... **आवेदक/आरोपीगण**

विरूद्ध

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सिरोंज जिला विदिशा म.प्र

..... **अनावेदक/अभियोजन**

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 01.11.2022

01-11-2022

1. आवेदक/आरोपीगण द्वारा श्री आशीष भृगु अधिवक्ता उपस्थित।
2. अनावेदक/राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री प्रवीण आर्य उपस्थित।
3. ए.जी.पी. को प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति दी गई। ए.जी.पी. द्वारा आवेदन पत्र का जबाव न देना व्यक्त कर, मौखिक विरोध किया गया।
4. आरक्षी केन्द्र सिरोंज जिला विदिशा अपराध क्रमांक 453/2022 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506 एवं 307 भा.दं.वि. की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरोंज के न्यायालय से रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त।
5. उभयपक्ष के आवेदक/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा धारा 439 दं. प्र.सं. पर तर्क सुने गये।

6. आवेदक के आवेदन पत्र में यह लेख किया गया है कि आवेदक/आरोपीगण को पुलिस सिरोंज ने अपराध क्रमांक 453/2022 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506 व 307 भा.दं.वि. में गिरफतार किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरोंज द्वारा आवेदक/आरोपीगण का धारा 437 द.प्रं.सं. आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। आवेदकगण निर्दोष हैं, उनके विरूद्ध धारा 307 भा.द.सं. का अपराध नहीं बनता। फरियादी शिम्भू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रंजिश के कारण षडयंत्र कर आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट का झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा आवेदकगण को गिरफतार कर लिया गया। आवेदकगण मजदूर व्यक्ति हैं। आवेदकगण ग्राम ग्वारी के स्थायी निवासी हैं उनके भागने अथवा फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध पूर्व कोई दोषसिद्धि भी नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। अतः आवेदक/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

7. आवेदकगण का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न लंबित है, न निराकृत हुआ है। समर्थन में आवेदक/आरोपीगण ने चम्पालाल पिता गुलाबसिंह, उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम ग्वारी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री प्रवीण श्रीवास्तव ने जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

9. केस डायरी का अवलोकन किया गया।

10. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि फरियादी शिम्भू ने थाना सिरोंज में दिनांक 18.10.2022 को इस आशय की रिपोर्ट लिखवाई कि शाम 07:30 बजे वह अपने घर पर था, तभी पुरानी रंजिश पर से जागीर, समन्दर, वृंदावन, जशरथ व उधम अपने अपने हाथों में

फर्शा, बल्लम लेकर आये व उसके घर के सामने खड़े होकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। उसके पापा उमराव सिंह व भाई भगतसिंह ने उनको गाली देने से मना किया, तो जागीर, समन्दर, वृंदावन, जशरथ व उधम बागड़ी एक राय होकर हाथ में लिये हुये फर्शा व बल्लम से उसके पापा व भाई को जान से मारने की नीयत से जागीर, समन्दर, वृंदावन ने फर्शा से तथा जशरथ एवं उधम ने बल्लम से उसके पापा उमरावसिंह व भाई भगतसिंह की मारपीट की, जिससे उसके पापा उमरावसिंह को बांये हाथ में, पीठ पर एवं माथे पर चोट होकर खून निकलने लगा तथा भाई भगत सिंह के सीधे हाथ की कलाई के उपर चोट होकर खून निकलने लगा। वह बीच बचाव करने गया तो उधम ने उसे बल्लम के डण्डे से मारा, जो उसे सीधे हाथ के कंधे व सिर पर लगकर उसे मुंदी चोट आई। उसके पापा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। शिवराज व सोनाबाई ने बीच बचाव किया था। आरोपीगण जाते जाते कह रहे थे कि दोबारा हमारे परिवार से उलझे तो जान से खत्म कर देंगे। वह अपने भाई भगतसिंह व पापा उमरावसिंह को शिवराज के साथ अस्पताल सिरोंज में इलाज हेतु लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इलाज के पश्चात उसने थाने पर रिपोर्ट लिखाई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिरोंज में अपराध क्रमांक 453/22 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506, व 307 भा.दं.वि. का कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी को दिनांक 20.10.2022 को गिरफतार कर न्यायिक मजि.प्र.श्रे. सिरोंज के न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। न्यायिक मजि.प्र.श्रे. सिरोंज द्वारा जमानत आवेदन दिनांक 20.10.2022 को निरस्त कर दिया गया है।

11. केस डायरी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवेचना अपूर्ण है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **अतः आवेदक/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.**

निरस्त किया जाता है।

12. आदेश की प्रति के साथ केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस की जाये। रिमाण्ड पत्रावली संबंधित न्यायालय को वापस की जावे।

13. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–

(सुरेन्द्र मेश्राम)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश,
सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक.....2022 सिरोंज, दिनांक .....

प्रतिलिपि– थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र सिरोंज को मय केस डायरी एवं आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–

(सुरेन्द्र मेश्राम)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश,
सिरोंज जिला विदिशा(म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)